(12)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132.

संख्या :ई.रा. 1519 /जी0एस
दिनांक : 27 अगस्त 2001

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या : 15-16/48/ए//सम्बद्धता/2000-2001, दिनांक 3.5.2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन चन्द्रकान्ती रमावती देवी गर्ल्स आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में ललितकला एवं राजनीतिशास्त्र एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2001 से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की अवधि विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था द्वारा आगामी छः माह में प्रवक्ताओं की विधिवत नियुक्त कर ली जाएगी ।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश :1960/सत्तर-2-97 (85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है ।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
4. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी ।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ0प्र0,18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
4. सचिव/प्रबन्धक, चन्द्रकान्ती रमावती देवी गर्ल्स आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर ।
5. कम्प्युटर सेल, राजभवन, लखनऊ ।

(राकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि पत्र संख्या-ई.सं. 1519/जी.एस. दिनांक 27 अगस्त, 2001 को श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रेषित, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को सम्बोधित है।

आपके पत्र संख्या 15-16/सम्बद्धता/2000-2001 दिनांक 3-5-2001 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (राजनीतिशास्त्र एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1-7-2001 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की अवधि विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1- संस्था द्वारा आगामी छः माह में प्रवक्ताओं की विधिवत नियुक्त कर ली जायेगी।

2- संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में शासनादेश 1960/सत्तर-2-97(85)/97 दिनांक 11-11-97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जा रहा है।

3- संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।

4- संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

ह0 अस्पष्ट
(राकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक: 1026 /सम्बद्धता/2001-2002 दिनांक सितम्बर 14, 2001

प्रतिलिपि: प्राचार्या, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्र प्रतिलिपि पत्र संख्या- ई.०. 1519/वी.एस. दिनांक 27 अगस्त,2001 जो महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को सम्बोधित है।

आपके पत्र संख्या- 15-16/सम्बद्धता/2000-2001 दिनांक 3-5-2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी गर्ल्स आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में ललितकला एवं राजनीतिशास्त्र एवं स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1-7-2001 से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की अवधि विस्तारण की सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है।

1- संस्था द्वारा आगामी छः माह में प्रवक्ताओं की विधिवत नियुक्ति कर ली जायेगी।
2- संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त विषयों में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश 1960/सत्तर-2-97(85)/97 दिनांक 11-11-97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित के आधार पर कार्यवाही की जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
3- संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4- संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

ह० अस्पष्ट
(राकेश कुमार ओझा)
महामहिम कुलाधिपति के विशेष सचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक 1117 /सम्बद्धता/2000-2001 दिनांक अक्टूबर 8 ,2001

प्रतिलिपि प्राचार्य, चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय, गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

पत्रांक-ई.स./ 1804 /जी.एस
दिनांक 8 अगस्त, 2002

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य कन्या महाविद्यालय, गोरखपुर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय में ललित कला तथा राजनीतिशास्त्र विषयों एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 1.7.2002 से आगामी एक वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की अवधि विस्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. उपरोक्त विस्तरण अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि महाविद्यालय अस्थायी सम्बद्धता के सभी मानक पूर्ण करता है अथवा नहीं। मानक अपूर्ण होने की दशा में सम्बद्धता समाप्ति का प्रस्ताव विश्वविद्यालय द्वारा शासन/कुलाधिपति कार्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश:1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी।
4. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी।

भवदीय

/

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ0प्र0, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक/चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज, गोरखपुर
5. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-227132

(15)

पत्रांक-ई.रा./ 2174 /जी.एस
दिनांक 7 सितम्बर,2002

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा 37(2)के अधीन चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य कन्या महाविद्यालय,गोरखपुर को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 1.7.2002 से आगामी तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व यू.जी.सी.अर्हताधारी शिक्षकों की नियुक्ति कर लेगी।
2. संस्था द्वारा महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश फीस, शिक्षकों की नियुक्ति आदि के संबंध में शासनादेश:1960/सत्तर-2-97(85) 97, दिनांक 11.11.97 के अनुसार या भविष्य में समय-समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर कार्यवाही की जाएगी । विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश के प्राविधानों का पूर्णरुपेण पालन किया जा रहा है ।
3. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेगी ।
4. संस्था निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण में इंगित कमियों को उपरोक्त अवधि में पूर्ण कर लेगी ।

भवदीय

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ0प्र0,18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
3. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
4. प्रबन्धक/चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला डिग्री कालेज,गोरखपुर
5. कम्प्यूटर सेल, राजभवन, लखनऊ ।

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

(16)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-226027

2608
संख्या-ई.स. / /जी.एस.
दिनांक 19 सितम्बर, 2003

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्रांक-१२७७-८०/सम्बद्धता/२००३ दिनांक ३.६.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के सम्बन्ध में उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा निर्दिष्ट परन्तुक के अधीन चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी.कालेज गोरखपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत ललित कला एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में दिनांक १.७.२००३ से आगामी तीन वर्ष हेतु एवं स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से आगामी दो वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश २००३ द्वारा मूल अधिनियम १९७३ की धारा ३७(२) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
२. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
३. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
४. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक/प्राचार्य चन्द्रकान्ती रमावती देवी आर्य महिला पी.जी.कालेज गोरखपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव